संख्या:53/2017/155/35-4-2017

प्रेषक,

जयप्रकाश भारती,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 08 मार्च,2017

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में शासनादेश संख्या-148/2016/644/35-4-2016 दिनांक 22 अप्रैल,2016 के द्वारा 25 कार्यों की रू. 514.90 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 257.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। मुख्य अभियंता, (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या:263 कैम्प/बी.जी./7बी.-3त्व0आ0वि0यो0/2016-17(त्व0मांग) दिनांक 20 दिसम्बर,2016 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू. 257.45 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तावन लाख पैंतालीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	मो0 गर्दाबाद से मसरूद्दीन के मकान से सिराज के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण	12.87	6.43	6.44
2	फर्रूखाबाद मार्ग ठाकुर द्वारा सीधा रिहुआ मार्ग पर रेलवे लाइन तक सी0सी0 रोड का निर्माण	18.41	9.20	9.21
3	मो0 अशफाकउल्ला नगर में लखईयामऊ रोड से एजाद के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण	37.58	18.79	18.79
4	मो0 आजाद नगर समधन में साजिद ऊर्फे भल्लू के मकान से इरशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण	20.76	10.38	10.38
5	मो0 नेहरूनगर में इलियास के मकान से पप्पू ऊर्फे बी0पी0 के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण	56.88	28.44	28.44
6	मो0 गाँधीनगर में आशिक अली के मकान से शेरा के मकान तक सी0सी0 मार्ग का पुन: निर्माण व मो0 गर्दाबाद में नसीम के मकान से रामगुलाम के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण	31.50	15.75	15.75

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
7	मो0 आजादनगर में ईदगाह से शहनूर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण	29.43	14.71	14.72
8	मो0 इस्लामनगर (इस्माइलपुर) में फरीद के मकान से कदीर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य एवं अबरार के मकान से तालाब तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	26.43	13.21	13.22
9	मो0 सिकन्दरनगर (समधन) में जमील के मकान से शमीम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली एवं कयामुद्दीन के मकान से सलामुद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	2.78	1.39	1.39
10	मो0 आजाद नगर में समीर के मकान से सिद्दीक मस्जिद तक एवं फुरकान के मकान से वकील मेम्बर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण	13.65	6.83	6.82
11	मो0 अल्लामाइकबाल नगर में इकरार के मकान से याकूब के मकान तक एवं महबूब शहनूर के मकान से हाजी हसन के मकान तक सी0सी0 रोड का पुनः निर्माण कार्य	13.34	6.67	6.67
12	मो0 किदवई में हकीमुद्दीन के मकान से सौरिखी होते हुए एफ0 जी0 रोड तक एवं साहबजमा के मकान से बाबू के मकान तक सी0सी0 रोड का पुनः निर्माण	13.84	6.92	6.92
13	मो0 कादर खाँ नगर में हसमत के मकान से प्रेमचन्द्र जाटव के मकान तक सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं मो0 नेहरू नगर में हाजी व सुहील के मकान से वसीम अयाज के मकान तक सी0सी0 रोड का पुनः निर्माण	8.25	4.13	4.12
14	मो0 सिकन्दरनगर में अख्तर के मकान से बल्लन मौलाना के मकान तक सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं मो0 अल्लामा इकबाल नगर में तत्थू दर्जी के मकान से कमल्ले दर्जी के मकान तक सी0सी0 रोड का पुनः निर्माण	16.24	8.12	8.12
15	मो0 गांधी नगर में इकबाल के मकान से मोमीन हाजी के मकान तक एवं शाहगीर, शहनवाज के मकान से फर्रूखाबाद रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण	2.27	1.14	1.13
16	मो0 गोरी नवादा के पीरकाकू (बिल तालाब) से इस्तखार उर्फ करिया के मकान तक सी0 सी0 रोड का पुनः निर्माण	4.64	2.32	2.32
17	मो0 किदवई नगर में नईम दर्जी के मकान से इसरार के मकान तक बादल खाँ के मकान से छुटनना पच्चा के मकान तक एवं कैसर के मकान से हनीफ के मकान तक सी0 सी0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं रामस्वरूप बाल्मीकि के मकान से लालाराम बाल्मीकि के मकान तक सी0 सी0 रोड का पुनः निर्माण	14.66	7.33	7.33

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
18	मो0 लोहिया नगर में कन्हई स्कूल से रफीक फैक्ट्री तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य एवं मो0 नेहरू नगर में बीती के मकान से नाले तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	21.77	10.88	10.89
19	मो0 नेहरूनगर में महफूज के मकान से इस्लाम व शमीम के खेत तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	15.36	7.68	7.68
20	मो0 आजाद नगर जहरूद्दीन व फुकरान के मकान से मुजीब के मकान तक इण्टरलाक सड़क एवं अख्तर केसी के मकान से गुड्डू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	14.08	7.04	7.04
21	मो0 गोरी नबादा में मुहिम के मकान से ईदगाह तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	14.93	7.47	7.46
22	नगर पंचायत समधन में लखईयामउ रोड से सैफुद्दीन की कब्रिस्तान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	12.57	6.29	6.28
23	मो0 लोहिया नगर(रिहुआ) में अनुज के मकान से लालपुर तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण कार्य	17.18	8.59	8.59
24	मो0 लोहिया नगर में मुश्ताक चक्की से रिहुआ तक सी0सी0 रोड का पुन: निर्माण	20.72	10.36	10.36
25	इस्माईलपुर में जी0टी0 रोड से तालाब के किनारे इण्टरलाक सड़क का निर्माण कार्य	74.76	37.38	37.38
	योग	**514.90**	**257.45**	**257.45**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 अप्रैल,2016 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-04-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयप्रकाश भारती)
अनुसचिव

संख्या:53/2017/155(1)/35-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- जिलाधिकारी, कन्नौज।
8- मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कन्नौज।

आज्ञा से ,

(जयप्रकाश भारती)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।